विनिवेश संबंधी मौजूदा नीति

04 जून, 2009 को संसद के संयुक्त सत्र के दौरान रा-ट्रपति के संबोधन के पैरा 34 में विनिवेश संबंधी नीति का उच्चारण किया गया है, जो निम्न प्रकार पठित है :-

"भारत के नागरिकों को यह अधिकार है कि वे सरकारी क्षेत्र की कंपनियों में शेयरधारिता के एक हिस्से के शेयरधारक बनें, जबकि सरकार अधिकांश शेयरधारिता व नियंत्रण अपने पास बनाए रखे। मेरी सरकार, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को सूचीबद्ध किए जाने व जन-स्वामित्व की योजना विकसित करेगी, साथ-साथ यह सुनिश्चित करेगी कि सरकारी इक्विटी 51% से कम न होने पाए।"

06 जुलाई, 2009 को वित्त मंत्री द्वारा अपने बजट भा-ाण के पैरा 37 में उपर्युक्त नीति का पुनःसमर्थन किया गया है। वित्त मंत्री के बजट भा-ाण का पैरा 37 निम्न प्रकार पठित है:-

"सरकारी क्षेत्र के उपक्रम रा-ट्र की निधि हैं और इस निधि का एक भाग आम जनमानस के हाथों में होना चाहिए। हमारे उद्यमों में सरकार की कम से कम 51% की भागीदारी कायम रखते हुए मैं, अपने विनिवेश कार्यक्रम में आम जनमानस की भागीदारी को बढ़ावा देने का प्रस्ताव करता हूं। यहां, मुझे यह अवश्य ही स्प-ट करना चाहिए कि सरकारी क्षेत्र के उद्यम जैसे कि बैंक और बीमा कंपनियां, सरकारी क्षेत्र में बनी रहेंगी और इनकी समृद्धि और प्रतिस्पर्द्धा बनी रहे, इसके लिए पूंजीगत निवेश सहित सभी प्रकार की सहायता दी जाएगी ।

05 नवम्बर, 2009 को सरकार ने लाभ अर्जित करने वाले केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी इक्विटी का विनिवेश करने के लिए निम्नलिखित कार्य योजना अनुमोदित की है :-

i) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के पहले से ही सूचीबद्ध, लाभ अर्जित करने वाले उपक्रम, जो अनिवार्य 10 प्रतिशत की आम जनमानस की भागीदारी की शर्त को पूरा नहीं करते, उनमें इस शर्त का पालन किया जाए;

ii) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के वे उपक्रम जिनका निवल मूल्य सकारात्मक है, और जिनका संचित घाटा नहीं है तथा जो पिछले तीन व-र्ाों से लगातार निवल लाभ कमा रहे हैं, उनमें सरकार की शेयरधारिता में से सार्वजनिक पेशकश या कंपनी

द्वारा इक्विटी के नए निर्गम या दोनों के जरिए उन्हें सूचीबद्ध किया जाए; और

iii) विनिवेश से प्राप्त राशि को रा-ट्रीय निवेश को-न में जमा कराया जाएगा और अप्रैल, 2009 से मार्च, 2012 तक यह समस्त राशि योजना आयोग/व्यय विभाग द्वारा निर्धारित सामाजिक क्षेत्र के चुनिंदा कार्यक्रमों की पूंजी व्यय संबंधी आवश्कयताओं को पूरा करने के लिए उपलब्ध होगी। को-न की यथापूर्व स्थिति अप्रैल, 2012 से बहाल कर दी जाएगी।

विनिवेश संबंधी दृ-टिकोण

विनिवेश विभाग, प्रशासनिक मंत्रालयों से बातचीत करेगा ताकि विनिवेश के लिए केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की पहचान की जा सके। चूंकि प्रत्येक केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रम की पूंजी संरचना, वित्तीय शक्ति भिन्न होती है और अनिवार्य पूंजीकरण अपेक्षाओं के अनुपालन में उनकी अलग-अलग स्थिति होती है इसलिए प्रत्येक विनिवेश पर सरकार द्वारा अनुमोदन के लिए मामला दर मामला आधार पर विचार किया जाएगा।